



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 18 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 27, 1948 शक संवत्) [संख्या 29

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	359—390	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	493—508	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1457-1497	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

औपबन्धिक नियुक्ति/तैनाती

21 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1191/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
568	54400087868	धीरेन्द्र प्रजापति	S/o घनश्याम प्रजापति	जौनपुर	घनश्याम प्रजापति, ग्राम-डिगुंरपुर, पोस्ट-त्रिलोचन महादेव, तहसील-केराकत जौनपुर-222136	रा0आ0चि0, बिलारी, आजमगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1192/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
569	54400078009	डा0 शुभम माहेश्वरी	S/o उमेश माहेश्वरी	बदायूँ	उमेश माहेश्वरी, मोहल्ला नं0-2, वार्ड नं0-18, थाना व तहसील-बिल्सी बदायूँ-243633	रा0आ0चि0, विरसिंहपुर, शाहजहांपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3- उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1193/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
570	54400078958	शिवम वर्मा	S/o श्रवण कुमार वर्मा	इटवा	शिवम वर्मा S/o श्रवण कुमार वर्मा, मोहल्ला- खेरापति इकदिल, इटावा- 206126	रा0आ0चि0, मोहाना, कानपुर देहात HWC

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1956' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1194/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
575	54400053029	यशी बाजपेई	W/o जितिन गुप्ता	लखनऊ	यशी बाजपेई, C/o हरिओम बाजपेई, 63 नेहरू नगर, ऐशबाग, लखनऊ-226004	रा0आ0चि0, मुडिया चेताराम, बरेली HWC

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1956' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1195/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
576	54400076899	शीतल सिंह	D/o देवकी नन्दन	बदायूँ	शीतल सिंह, D/o देवकी नन्दन, बी-485, आवास विकास कालोनी सिविल लाइन्स, बदायूँ-243601	रा0आ0चि0, बुधवाना, शाहजहांपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1196/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
577	54400087554	रंजना वर्मा	W/o शरद कुमार	झांसी	रंजना वर्मा, W/o शरद कुमार, 102, गोमती सदन, LEHARGIRD, झांसी-284003	रा0आ0चि0, धौरीसागर, ललितपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1198/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
581	54400025919	विवेका नन्द	S/o हरि शंकर दूबे	गोरखपुर	हरिशंकर दूबे, ग्राम- डेलूआडीह, पो0- हरपुर बुदहट, थाना- हरपुर बुदहट, गोरखपुर-273209	रा0आ0चि0, ऐमापुर, रायबरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1199/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
586	54400075349	कुमारी नीरज	D/o ओम प्रकाश	कासगंज (कांशीराम नगर)	कुमारी नीरज, C/o ओम प्रकाश, ग्राम व पोस्ट-मोहनपुरा, कांशीराम नगर-207123	25 शैय्या रा0आयु0चि0, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1200/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
588	54400063372	शिवानी चौधरी	D/o शांति प्रसाद चौधरी	बलरामपुर	शिवानी चौधरी, D/o एस0पी0 चौधरी, 290, पहलवारा, बलरामपुर-271201	रा0आ0चि0, खजुरी, बहराइच

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व

अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं० 1202/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी०आर०/एस०-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
591	54400029138	राधा	W/o डा० सुरेन्द्र कुमार	पीलीभीत	राधा, C/o नन्हे लाल भारती, ग्राम व मोहल्ला-चुरा सकतपुर, पीलीभीत-262201	रा०आ०चि०, मल्हपुर सबराह, बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ०प्र० भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1203/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
592	54400037845	प्रदीप कुमार मिश्रा	S/o भानू प्रताप मिश्रा	अयोध्या	प्रदीप कुमार मिश्रा S/o भानू प्रताप मिश्रा, ग्राम व पोस्ट-रामापुर, अयोध्या-224141	रा0आ0चि0, इब्रहिमाबाद नौवरार, बलिया

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1204/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद

चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
597	54400088149	रिचा	W/o शमशेर सिंह	सम्भल (भीम नगर)	जितेन्द्र सिंह, बहाउद्दीनपुर, 300, बहाउद्दीनपुर, रहतोल, सम्भल (भीम नगर)-244301	रा0आ0चि0, ऊंचागांव, मुरादाबाद

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि

के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1205/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
598	54400069729	साक्षी शुक्ला	D/o एस0एन0 शुक्ला	अयोध्या	एस0एन0 शुक्ला, मऊ, घनश्यामपुर, कोटडीह, तहसील-मिल्कीपुर, अयोध्या-224158	25 शैय्या रा0आयु0चि0, टाण्डा, अम्बेडकरनगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1206/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
599	54400028643	सचिन चौधरी	S/o राधे श्याम चौधरी	गोरखपुर	राधिका देवी, ग्राम-मुण्डा कोडरा, पोस्ट-सहजनवाँ, गोरखपुर-273209	25 शैय्या रा0आयु0चि0, आनन्द नगर, महाराजगंज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1207/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
601	54400031683	मोनू कुमार	S/o प्रवीण कुमार	सहारनपुर	प्रवीण कुमार, मोहल्ला-ताकन, गंगोह, पोस्ट-गंगोह, सहारनपुर-247341	रा0आ0चि0, भग्गोभार, सिद्धार्थनगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1208/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र-संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
353	54400055744	पूनम गुप्ता	W/o नितिन अग्रवाल	फर्रुखाबाद	पूनम गुप्ता, D/o श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, 25, मोहल्ला-दलमीर खान बाजिदपुर, शमसाबाद, फर्रुखाबाद-209503	रा0आ0चि0, पुरदिलनगर, हाथरस

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1209/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र-संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
563	5440008851	कीर्तिलता यादव	W/o अखिलेश कुमार यादव	जौनपुर	कीर्तिलता यादव, वार्ड नं0-5, भारती विद्यापीठ खेतासरॉव, जौनपुर-222139	रा0आ0चि0, कज्जाकपुरा, वाराणसी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि

के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 27, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

विज्ञप्ति

10 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 1411/जी०-161/2024-25/धारा-52(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू०, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बांदा, जनपद-बांदा के ग्राम-अरसौड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 1412/जी०-161-B/2024-25/धारा-52(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू०, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-पैलानी, जनपद-बांदा के ग्राम खट्टिहाखुर्द बांगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं० 1413/जी०-157/2024-25/धारा-52(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी

विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-भाटपाररानी, परगना-सलेमपुर, मझौली जनपद देवरिया के ग्राम धनौती, तप्पा-हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1414/जी0-233/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-शाहाबाद, परगना-पण्डरवा, जनपद हरदोई के ग्राम अम्बारी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1415/जी0-356ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-मिल्कीपुर, परगना-पश्चिमराठ, जनपद अयोध्या के ग्राम मेहदौना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1416/जी0-362ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा, परगना- हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम कोल्हुआ उर्फ सिहोरवा, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1417/जी0-48/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-चिरैयाकोट, जनपद आजमगढ़ के ग्राम करउत में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1418/जी0-176/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में

प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-नरवन्, जनपद-चन्दौली के ग्राम कुसीखुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1420/जी0-161-B/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-पैलानी, जनपद-बांदा के ग्राम महबरा बांगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1421/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-फरीदपुर, जनपद-बरेली के ग्राम गिरधरपुर जैदेवराम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1422/जी0-351/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बलिया, जनपद-बलिया के ग्राम खाप सिकन्दरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1423/जी0-226/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बिधूना, जनपद-औरैया के ग्राम हमीरपुर रुरु में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1424/जी0-61B/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-चन्दौसी, जनपद-सम्भल के ग्राम भरतरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1425/जी0-155/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बांसडीह, परगना-खरीद, जनपद-बलिया के ग्राम साहोडीह में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1426/जी0-176/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मझवार, जनपद-चन्दौली के ग्राम नरहन खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1427/जी0-176/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मझवार, जनपद-चन्दौली के ग्राम सरिहकोनिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1428/जी0-123/58-88(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बिजनौर, परगना-दारानगर, जनपद-बिजनौर के ग्राम हल्दौर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1429/जी0-168/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-ढिंगवस, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम पूरूरूप में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1430/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-नरवन,

जनपद-चन्दौली के ग्राम विरभानपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1431/जी0-244/2025-26/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-भदोही, जनपद-भदोही के ग्राम चकदूरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1432/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के ग्राम भौरीसाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1433/जी0-176/2023-24/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के

अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना-राल्हूपुर, जनपद-चन्दौली के ग्राम सैदपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1434/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना-राल्हूपुर, जनपद-चन्दौली के ग्राम चकिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1435/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मझवार, जनपद-चन्दौली के ग्राम वासूपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1436/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी

विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-भदौव, जनपद-मऊ के ग्राम पाहदुल्लभ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1437/जी0-176/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सकलडीहा, परगना-बरह, जनपद-चन्दौली के ग्राम गंगापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1438/जी0-247/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फूलपुर, परगना-झूंसी, जनपद-प्रयागराज के ग्राम चक हिनौता में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1439/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्ति, जनपद-मीरजापुर के ग्राम बोधीपुर, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1440/जी0-161-B/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-चैलानी, जनपद-बांदा के ग्राम मड़ौली कलां बांगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1441/जी0-152-B/2018—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-जयसिंहपुर, परगना-बरौसा, जनपद-

सुलतानपुर के ग्राम जगतपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

22 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 1556/जी0-61/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बिलारी, परगना-कुन्दरकी, जनपद-मुरादाबाद के ग्राम अलीरजापुर गैराबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1557/जी0-175A/2025-26/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील मड़ियाहू वर्तमान तहसील-मछलीशहर, परगना-मड़ियाहू, जनपद-जौनपुर के ग्राम पौहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1558/जी0-229/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-हसनपुर, जनपद-अमरोहा के ग्राम लुहारी भूड में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1559/जी0-43/2025-26/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर के ग्राम चकभगवतीदास में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1560/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लखीमपुर, परगना-पैला, जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम रजौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1561/जी0-167/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-नर्वल, जनपद-कानपुर नगर के ग्राम खुजौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1562/जी0-156/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के ग्राम-भागूवाला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1563/जी0-175/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पयागपुर, परगना-इकौना, जनपद-बहराइच के ग्राम उधरना ठकुराइन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1564/जी0-43/54-80(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर के ग्राम देवबन्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1565/जी0-355/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-अमरोहा, जनपद-अमरोहा के ग्राम मीरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1566/जी0-166/65(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लखीमपुर, परगना-पैला, जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम बेहटा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1567/जी0-43/2025-26/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर के ग्राम चकरामबाड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1568/जी0-28/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बिल्सी, परगना-कोट, जनपद-बदायूँ के ग्राम सिरासौल पट्टी जसा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1569/जी0-266/94-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-चौरी चौरा, परगना-हवेली, जनपद-

गोरखपुर के ग्राम करनमाझा, तप्पा-रसूलपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1570/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हरैया, परगना-नगर पश्चिम, जनपद-बस्ती के ग्राम मदही, तप्पा-नवाई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1571/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, परगना-मवई, जनपद-चन्दौली के ग्राम चौबेपट्टी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1572/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के

अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-भोजपुर, जनपद-फर्रुखाबाद के ग्राम भूलनपुर चिरपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1573/जी0-247/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फूलपुर, परगना-झूँसी, जनपद-प्रयागराज के ग्राम रतौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1574/जी0-152/2024-25/धारा-6(1)—रिट याचिका संख्या-634/बी0/2025 भीम सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2025 के समादर में प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या-10000/ वि0प्र0/ सा0 दिनांक 24 फरवरी, 2026 द्वारा ग्राम बौधिया कलां, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17ग में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 20 फरवरी, 2025 व 19 अगस्त, 2025 तथा समविषयक अन्य प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप

धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के गाम बौधिया कलां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-475/जी0-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 एतद्वारा निरस्त करती हूँ।

सं0 1575/जी0-240/2023-24/धारा-6(1)—रिट याचिका बी0 संख्या-269/2025 शिवनाथ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 मार्च, 2025 के समादर में प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या-10007/वि0प्र0/सा0 दिनांक 26 फरवरी, 2026 द्वारा ग्राम भिण्डलखनसिंहा, तहसील बेलथरा रोड, जनपद बलिया में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17क में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 16 अप्रैल, 2025 एवं समविषयक अन्य प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बेलथरा रोड, जनपद बलिया के ग्राम भिण्डलखनसिंहा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2309/जी0-610/2016-17 दिनांक 27 मई, 2016 एतद्वारा निरस्त करती हूँ।

24 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 1613/जी0-161ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0,

अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कर्वी, नवसृजित, तहसील-राजापुर, परगना-राजापुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम मिर्जापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1614/जी0-363/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कासिमाबाद, परगना-जहूराबाद, जनपद-गाजीपुर के ग्राम हटवार मुरार सिंह में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1615/जी0-161ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कर्वी नवसृजित, तहसील-राजापुर, परगना-राजापुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम लठागुठरूप में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1616/जी0-229/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-हसनपुर, जनपद-अमरोहा के ग्राम-औसीता ऐहतमाली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1617/जी0-161ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कर्वी नवसृजित, तहसील-राजापुर, परगना-राजापुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम महरुच में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1618/जी0-233/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-शाहाबाद,

जनपद-हरदोई के ग्राम नरसियामऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1620/जी0-170/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सवायजपुर, परगना-कटियारी, जनपद-हरदोई के ग्राम गदनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1621/जी0-161/2023-24/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बस्ती (सदर), परगना-नगर पूरब, जनपद-बस्ती के ग्राम कलवारी मुस्तहकम, तप्पा-कलवारी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1622/जी0-363/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कासिमाबाद, परगना-जहूराबाद, जनपद-गाजीपुर के ग्राम दशवन्तपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1623/जी0-151/2024-25/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फतेहपुर, परगना-कुर्सी, जनपद-बाराबंकी के ग्राम ओदार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1624/जी0-160/2025-26/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हण्डिया, परगना-मह, जनपद-प्रयागराज के ग्राम मलेथुआ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1625/जी0-212/2023-24/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-सफीपुर, जनपद-उन्नाव के ग्राम दयालगढ़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1626/जी0-155/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-शोहरतगढ़, परगना-नौगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम नौतला सरपतहा, तप्पा-डबरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1634/जी0-49/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-मीरगंज, परगना-अजाऊँ, जनपद-बरेली के ग्राम सैहजना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1635/जी0-151/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फतेहपुर, परगना-कुर्सी, जनपद-बाराबंकी के ग्राम खुज्जी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1636/जी0-241/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बहेड़ी, परगना-चौमहला, जनपद-बरेली के ग्राम बंजरिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1637/जी0-49ए/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बीघापुर, परगना-

मगरायर, जनपद-उन्नाव के ग्राम बीघापुर कलाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1638/जी0-356-ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-रुदौली, जनपद-अयोध्या के ग्राम सण्डरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1639/जी0-212/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव के ग्राम डडिया सुनौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1640/जी0-152/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के

अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-गौरीगंज, परगना-अमेठी, जनपद-अमेठी के ग्राम बहोरखा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1641/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-देवरिया, परगना-शाहजहाँपुर, जनपद-देवरिया के ग्राम पिपरा, तप्पा-भैंसाडाबर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1642/जी0-78/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-महदावल, परगना-मगहर पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम जमुअरिया कलां, तप्पा-मेहदावल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1643/जी0-151/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फतेहपुर, परगना-कुर्सी, जनपद-बाराबंकी के ग्राम खण्डसरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1644/जी0-238/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के ग्राम बबुआपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1645/जी0-49ए/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बीघापुर, परगना-पाटन, जनपद-उन्नाव के ग्राम पाटन में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1646/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-भाटपाररानी, परगना-सलेमपुर मझौल, जनपद-देवरिया के ग्राम छोटका गांव, तप्पा-हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1647/जी0-362-ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महाराजगंज के ग्राम हथियागढ़, तप्पा-लेहडा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अपर्णा यू0,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

27 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 1661/जी0-49-ए/2025-26/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-

(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बीघापुर, परगना- घाटमपुर, जनपद-उन्नाव के ग्राम घाटमपुर कलाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1662/जी0-212/2024-25/धारा-52(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त,

1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव के ग्राम जामड़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 27, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम लखनऊ

(पशु कल्याण विभाग)

15 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 23 / A.W./M.C./2026--प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, नगर विकास विभाग, अनुभाग-9, लखनऊ के आदेश संख्या-925 / नौ-9-2025-ई-1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अंतर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिये प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-213 और धारा-541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 'नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025' का प्रारूप निर्गत किया गया था।

तदनुक्रम में मा. नगर निगम लखनऊ सदन दिनांक 09.09.2025 की बैठक में 'लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025' का आलेख प्रस्तुत करते हुये दिनांक 04.12.2025 समाचार-पत्र 'दैनिक जागरण' व 'हिन्दुस्तान' में सूचना प्रकाशित करते हुये 15 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। निर्धारित

अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने पर मा. सदन की सामान्य बैठक दिनांक 27.01.2026 के संकल्प संख्या-162 द्वारा उपविधि को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया जो निम्नवत् है:-

उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धारा-213 और धारा-541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर निगम लखनऊ के गृहकर के माँग रजिस्टर में दर्ज भवन/भूमि स्वामी की मृत्यु, पंजीकृत विक्रय नामा, वसीयत, दान-पत्र, हिब्बा तथा मा. न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-213 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही कर नामान्तरण किये जाने के उद्देश्य से 'नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025' बनायी जाती है, तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-544 के अनुपालन में जनसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लखनऊ नगर निगम

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 | <p>(1) यह उपविधि लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025 कही जायेगी।</p> <p>(2) यह नगर निगम लखनऊ में लागू होगी।</p> <p>(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</p> |
| परिभाषायें | 2 | <p>(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—</p> <p>(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।</p> <p>(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो खतौनी में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो।</p> <p>(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।</p> <p>(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।</p> <p>(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।</p> <p>(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।</p> <p>(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।</p> |

निर्धारण सूची में संशोधन
और परिवर्तन का कारण

3

(1) अधिनियम, 1959 की धारा-210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा- 213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिये दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा।

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा।

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा।

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा।

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामों की आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति।

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

सूची में संशोधन और
परिवर्तन की प्रक्रिया

- 4 (1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नवनिर्माण या पुनर्निर्माण होने पर हितबद्ध पक्ष निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वः कर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसकी जांच कराकर सत्यापन पश्चात् निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वः कर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

- (2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व/धारणाधिकार के वैध हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु. 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को ऑनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा—

क्र सं	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख व दान-पत्र के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓

4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् रु. 200.00 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतद्ध प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप-3 पर

इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सम्पत्ति से स्वत्व रखने वाले सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी। नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य अनुरक्षित रखा जायेगा।

(ड) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी लागत पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुये निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जायेगा।

(3) इस उपविधि में समस्त प्राविधानों के होते हुये भी निस्तारण हेतु उत्तरदायी नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो हितबद्ध पक्ष से 4(2) में उल्लिखित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य/अभिलेख जो निस्तारण हेतु आवश्यक हो मांगा जा सकता है और हितबद्ध पक्ष द्वारा उक्त साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

हस्तान्तरण की नोटिस
दिया जाना
हस्तान्तरणकर्ता और
हस्तान्तरिती की बाध्यता

5 (1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) ज्यों ही नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आये, इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

निर्धारण सूची के
संशोधन/परिवर्तन हेतु
प्रभारों का लगाया जाना

6 (1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की अधिकतम दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी, रक्त सम्बन्ध, पारिवारिक समझौते, बंटवारा या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी :—

क्र.सं.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	1,000 तक	1,000 /—
2	1001—2,000 तक	2,000 /—
3	2001—3,000 तक	3,000 /—
4	3,000 से अधिक	5,000 /—

(ख) नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होंगी—

सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
रु. 5.00 लाख तक	3,500 /—
रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख तक	5,500 /—
रु. 10.00 लाख से रु. 20.00 लाख तक	7,500 /—
रु. 20.00 लाख से रु. 30.00 लाख तक	9,500 /—
रु. 30.00 लाख से ऊपर	10,000 /—

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(3) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(4) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| आदेश का संशोधन या
निरस्तीकरण | 7 | जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है। |
| अपील | 8 | नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-472 के अधीन अपील कर सकता है। |

(ह0) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत, पाकबड़ा, मुरादाबाद

25 जून, 2025 ई0

सं0 194/न0पं0पा0/2025-26-कार्यालय नगर पंचायत पाकबड़ा के पत्र सं0-06/न0पं0पा0/2025-26-उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा विविध कर (शुल्क) नियमावली, 2025 उपविधि नगर पंचायत, पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-30 के प्रस्तर संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक "आज" में दिनांक 01 जून, 2025 एवं दैनिक शाह "टाइम्स" 01 जून, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमांत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-30 के प्रस्तर संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

“विविध कर (शुल्क) उपविधि” नियमावली, 2025

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद में “विविध कर (शुल्क) उपविधि” नियमावली, 2025 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1— संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि “विविध कर (शुल्क) उपविधि” नियमावली, 2025 कहलायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के सीमान्तर्गत लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में गजट का प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषायें— उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायें—

- (1) “अध्यक्ष/प्रशासक” का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के “अध्यक्ष/प्रशासक” से हैं।
- (2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के “अधिशाली अधिकारी” से है।
- (3) “प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य, नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद के “प्रभारी अधिकारी” से है।
- (4) “लाईसेंस अधिकारी” का तात्पर्य, नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद के “लाईसेंस अधिकारी” से है।
- (5) “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (6) “नगर पंचायत” का तात्पर्य “नगर पंचायत पाकबड़ा” से है।

3— उपनियम—

(1) इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाईसेंस दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस की अवधि 03 वर्ष की होगी, जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।

(3) प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) दुकानदार/व्यवसायी को लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि कार्यालय नगर पंचायत पाकबड़ा में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

(5) दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(6) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विविध संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु प्राप्त लाईसेंस से भिन्न होगा।

(7) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।

(8) नगर पंचायत पाकबड़ा, मुरादाबाद के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी/ अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाईसेंस दिखाने के लिये बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकानदार आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होंगे।

(9) अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत पाकबड़ा के द्वारा लाईसेंस निर्गत किया जायेगा।

(10) जो शुल्क इस तालिका में नहीं है, उससे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी अनुरूप लाईसेंस शुल्क लिया जायेगा।

(11) इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाईसेंस उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

(12) वाहन के लाईसेंस न बनाने अथवा चैंकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद देगा तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं। तत्पश्चात् 15 दिवस में लाईसेंस न बनवाने पर लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।

(13) उपनियम में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।

(14) वित्तीय वर्ष के माह जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायिक को लाईसेंस बनवाना आवश्यक होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रुपये 100.00 रु0 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

(15) दुकानदार/व्यवसायिक द्वारा लाईसेंस शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूल भू-राजस्व की भांति करायी जायेगी।

(16) नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के नियमानुसार लागू लाईसेंस शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

(17) दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन/किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाईसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।

(18) सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाईसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाईसेंस देने से इंकार करने का अधिकार होगा।

(19) व्यवसायिक लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अन्य आवंटन विभागों से एन0ओ0सी0 इत्यादि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदार आवेदनकर्ता की होगी।

4- लाईसेंस शुल्क-

शासनादेश संख्या-541/नौ-9-99-23ज/97टी.सी. दिनांक 15 फरवरी 1999 समहित संख्या 1241/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून 1998 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाईसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूचित करें। वसूली प्रभावित रहेगा।

वार्षिक दरें-

क्रम सं०	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाईसेंस हेतु निर्धारित दरें प्रति वर्ष
1	2	3
		रुपये-
1	पाँच सितारा होटल	12,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस (10 शैय्या तक)	900.00
4	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	50,000.00
5	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
6	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
7	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	3,000.00

1	2	3
		रुपये—
8	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	2,000.00
9	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	5,000.00
10	एक्स—रे क्लीनिक	2,000.00
11	पैथोलॉजी सेन्टर	2,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई—रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई—रिक्शा 04 सीटर	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई—रिक्शा 02 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पो/जीप/टैक्सी आदि	500.00
19	तांगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ठेला	75.00
24	हाथ ठेला	20.00
25	ट्रॉली मशीन चालित	500.00
26	अन्य चार पाहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00
28	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	50.00
33	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
34	पशुपालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क)— प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	100.00
	(ख)— प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	50.00

5— जलमूल्य वसूली—

(1) उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0-1010-19-2-96(2)-96 दिनांक 08 जनवरी 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अंतर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित हैं—

क्रमांक	घरेलू संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
1	2
1	रु0 50.00
व्यावसायिक संशोधित दरें (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान	
2	रु0 100.00

(2) नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानी का उपयोग करते हैं का वार्षिक शुल्क रु0 10,000.00 देय होगा।

(3) ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते हैं वार्षिक मूल्य रु0 2,000.00 देय होगा।

(4) वसूली अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

(5) नगर पंचायत वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।

(6) नगर पंचायत समुचित अभिलेखों का प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

6— शो टैक्स— नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7— विज्ञापन शुल्क— सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0 618/नौ-9-2012-277ज/2011 दिनांक 05 अप्रैल 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागम और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पट्टों की सुदृढता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।

(4) विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।

(5) कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अपशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

8— ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क—

(1) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर 250 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 5,000.00 एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर, 400 के0वी0 की अधिक की क्षमता के लिये— रु0 25,000 /— वार्षिक।

(2) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 50,000.00 वार्षिक।

9— नगर पंचायत दुकान एवं बारातघर पर किराया शुल्क—

(1) नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भाँति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि करेगी।

(2) ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3) दुकान का किराया रु0 2,000.00 प्रतिमाह

(4) नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा स्थित बारातघर का किराया रु0 5,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरांत बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

10— अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष—

(1) मछली फुटकर बिक्री	500 रु0
(2) मछली थोक बिक्री	1,000 रु0
(3) फल फुटकर बिक्री	500 रु0
(4) फल थोक बिक्री	2,000 रु0
(5) सब्जी फुटकर बिक्री	500 रु0
(6) सब्जी थोक बिक्री	2,000 रु0
(7) अण्डा फुटकर बिक्री	500 रु0
(8) अण्डा थोक बिक्री	2,000 रु0
(9) मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री	50,000 रु0

11—विविधकर (शुल्क) की दरें—

(1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 (सौ रु0 मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।

(2) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत पाकबड़ा सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 500.00 पाँच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 800.00 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(3) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 1,500.00 एक हजार पाँच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में निर्माण कार्य हेतु रु0 2,500.00 दो हजार पाँच सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(4) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 2,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में शुल्क रु0 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(5) पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।

(6) पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक।

(7) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार मात्र) वार्षिक।

(8) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।

(9) पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रुई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।

(10) गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़ें जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।

(11) पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 10.00 लिया जायेगा।

(12) पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

(13) पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 500.00 वार्षिक तथा बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(14) छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 2,500.00 (रु0 दो हजार पाँच सौ) मात्र।

(15) नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस, गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

(16) नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(17) नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(18) नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(19) नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।

(20) नगर पंचायत जे0सी0बी0 किराया रु0 1,000.00 (एक हजार) रु0 प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने-जाने का समय सहित—

(21) मोबाइल टायलेट किराया रु0 1,000.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

(22) नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईट भट्टों पर लाइसेंस शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार) वार्षिक शुल्क।

(23) नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(24) नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंकों पर व्यावसायिक शुल्क 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।

(25) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 2,000.00 (दो हजार) रुपया प्रति कनेक्शन।

(26) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 500.00 (पाँच सौ) रुपया प्रति कनेक्शन।

(27) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) मात्र वार्षिक वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,000.00 (एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

(28) ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार) मात्र वार्षिक वित्तीय वर्ष के प्रथम तक सिविलीटी हेतु एफ0डी0आर0 25,000 रुपया के साथ।

(29) शटरिंग / तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2,000.00 वार्षिक (रु0 दो हजार)।

(30) देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार) वार्षिक।

(31) विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।

(32) बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।

(33) माडल शाप व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) वार्षिक।

(34) समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक।

(35) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा-15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5000.00 (पांच हजार) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुमाना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

मौ0 याकूब,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबड़ा,
जनपद-मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत, बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीरनगर

सार्वजनिक सूचना

28 फरवरी, 2025 ई0

सं0 578/न0पं0ब0/2025-26-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1)(XIV-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा सीमा क्षेत्रान्तर्गत में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने हेतु जो नियमावली बनायी गयी है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम, की धारा-131(3) की अपेक्षानुसार सम्बन्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये और उनके सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु कार्यालय पत्रांक संख्या-578/न0पं0ब0/2024-25 दिनांक 28 फरवरी, 2025 के द्वारा दैनिक समाचार-पत्र क्रमशः स्वतंत्र चेतना एवं अमर उजाला में दिनांक 01, मार्च, 2025 को नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा क्षेत्रान्तर्गत में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने हेतु प्रकाशन कर आपत्ति प्राप्त करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था। जिसके क्रम में समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीर नगर को प्राप्त नहीं हुई।

अतः बोर्ड प्रस्ताव में दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जो गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली—**1—संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ प्रवृत्ति—**

- (1) यह नियमावली नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली कहलायेगी।
- (2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब तक नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाया जाये।
- (3) यह नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त विलेखों पर प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएँ—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में:—

- (क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या-2 सन् 1916) से है।
- (ख) नगर का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, से है।
- (ग) शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट-1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।
- (घ) इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट-1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) से है।
- (ङ) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीरनगर से है।
- (च) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अधिशासी अधिकारी से है।
- (छ) कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (XIV—ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3— नगर पंचायत के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के दर से बढ़ाकर किया जायेगा।

4— कर लगाने की प्रक्रिया—उक्त वृद्धि के फल स्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासांगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

- (1) अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट व्यौरे—

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक—पृथक दिये गये हैं:—

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति।

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

- (2) यदि ऐसे व्यौरे दस्तावेज में पृथक—पृथक व दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

- 5—कर के लेखे रखना—निबन्धक अधिकारी नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीरनगर प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध पृथक—पृथक लेखे रखेगा, जिसमें शुल्क व कर दिखायेगा।
- 6—निबन्धन अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय के प्रमाण-पत्रों को प्रतिलिपियां प्राप्त कर और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट-1908 (एक्ट संख्या 16, 1998) 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा।
- 7—निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक—पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में वसूली की गयी धनराशि और उसे जिला निबन्धक को उक्त प्रत्येक महीने के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।
- (1) निबन्धक महानिरीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
 - (2) कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
 - (3) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीरनगर।
 - (4) महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 8—नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये जायेंगे, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, को लौटा दी जायेंगी प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीर नगर प्रत्येक तिमाही के कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद की फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड—1 भाग—1 के प्रपत्र संख्या—19 में एक बिल प्रस्तुत करेगी। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगी।
- 9—(1) नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड—5 भाग के प्रपत्र संख्या—19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।
- (2) नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के पश्चात् के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।
- 10—अभिलेखों का निरीक्षण—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ उपविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

(मो0 आमिर),

अध्यक्ष,

नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा,
संत कबीरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत, बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीर नगर

सार्वजनिक सूचना/अन्तिम प्रकाशन

17 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 709/न0पं0ब0 (उपविधियों)/भवन निर्माण/अन्तिम प्रकाशन/2025-26—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298(2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ङ. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, बाघनगर उर्फ बखिरा, संत कबीर नगर के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई गई है। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिये कार्यालय के पत्र संख्या-631/न0पं0ब0 /2025-26 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण तथा स्वतन्त्र चेतना में प्रकाशित किया गया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त कोई भी आपत्तियां एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुई। तदोपरान्त उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

भवन निर्माण उपविधि, 2025 नियमावली

1— शीर्षक— यह उपविधि नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर भवन निर्माण उपविधि वर्ष 2025 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषाएँ— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

(1) “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, संख्या-2, 1916 से है।

(2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर के अधिशाली अधिकारी से है।

(3) “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर के बोर्ड/समिति से है।

(4) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर के अध्यक्ष से है।

(5) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर से है।

(6) “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4— नोटिस— यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा—

(क)— **स्थल का मानचित्र—** अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे—

(1) स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

(2) स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

(3) समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

(4) भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

(5) विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

(6) स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।

(7) प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

(8) यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिये बनाये जाने हो अर्थात् जिनके द्वारा प्लाटिंग की जा रही हो तो प्लाटिंग करने वाले को ही सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़नी होगी, जिसे विकसित करना होगा। तथा जल निकासी की भी व्यवस्था करनी होगी अन्यथा कि दशा में उस प्लाटिंग को अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

(ख)– भवनों का मानचित्र– भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के माप के खींचे होने चाहिये और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिये। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे–

1– प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2– नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3– शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4– मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

5– भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6– मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हों खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7– मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8– उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग)– अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे–

1– भवन का उद्देश्य–

(i) स्वयं रहने के लिये।

(ii) व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।

(iii) उद्योग धन्धों के लिये।

(iv) रहने या दुकान के लिये, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जायेगा।

5– प्लान– इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6— मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7— शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

क्रम सं०	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रुपये—	रुपये—
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	06.00	05.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	03.00	03.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	10.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	15.00	08.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	20.00	10.00
7	भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया	05.00	00.00
8.	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क 5,000.00 रुपया या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।		
9	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

1— प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2— नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

3— सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4— भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5— यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

6— धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

8— विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

9— 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

10— किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8— शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास— ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9— भवन में फलश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फलश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

10— नालियाँ— भवन की नालियाँ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिये आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11— पिलिन्थ (कुर्सी)— भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12— भवन की ऊँचाई— भू-तल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13— (क)— भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)— कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)— जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)— जीना— बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14— किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15— जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16— जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17— पूर्व से निर्मित किसी निर्माण/भवन/प्रतिष्ठान की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उक्त दरों पर होगी।

18— निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अध्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम, 2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त को किया जायेगा।

मो0 आमिर,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा,
संत कबीर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयांश सिंह (SHREYANSH SINGH) पुत्र राघवेन्द्र कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7930 5365 1063 में उसका नाम अंशपटेल (ANSHPATEL) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेयांश सिंह (SHREYANSH SINGH) पुत्र राघवेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राघवेन्द्र कुमार सिंह,
पुत्र राजबहादुर सिंह,
ग्राम व पोस्ट महारामऊ, जिला उन्नाव, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका वर्मा (Avika Verma) पुत्री नीरज कुमार वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं० 6003 2181 9875 में उसका नाम स्वास्ति वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका वर्मा (Avika Verma) पुत्री नीरज कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीरज कुमार वर्मा, पुत्र कन्हैया लाल वर्मा,
137, जवाहर नगर काजीपुर रोड,
नैनी प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्श श्रीवास्तव (ARSH SRIVASTAVA) पुत्र आलोक कुमार श्रीवास्तव है। जो

कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 3129 8608 9105 में उसका नाम आयुष श्रीवास्तव (AYUSH SRIVASTAVA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्श श्रीवास्तव (ARSH SRIVASTAVA) पुत्र आलोक कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आलोक कुमार श्रीवास्तव
पता— मडवा नगर, बडेवन, बुद्धापुरम्,
मरवा नगर बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लालजी (Lalji) पुत्र राजू यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4973 में मेरा नाम लालजी यादव (Laljee Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लालजी (Lalji) पुत्र राजू यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लालजी पुत्र राजू यादव
95 गाजीपुर रोड उमरहा, वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयश वर्मा (Shreyash Verma) पुत्र नीरज कुमार वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं० 4346 7591 5310 में उसका नाम शिवांश वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेयश वर्मा (Shreyash Verma) पुत्र नीरज कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नीरज कुमार वर्मा पुत्र कन्हैया लाल,
137, जवाहर नगर, काजीपुर रोड,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्य भसीन (LAKSHAY BHASIN) पुत्र हरीश भसीन (HARISH BHASIN) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9308 4443 4174 में उसका नाम हरीश भसीन (HARISH BHASIN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्य भसीन (LAKSHAY BHASIN) पुत्र हरीश भसीन (HARISH BHASIN) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

हरीश भसीन पुत्र तिलक राज भसीन,
52— इन्द्रपुरी रेलवे रोड,
एटा उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वाकीब समशाद अहमद (WAKIB SAMASHAD AHMED) पुत्र समशाद अहमद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—9161 1142 9010 में उसका नाम वाकीब समशाद अहमद (WAKIB SAMASHAD AHMED) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वाकीब समशाद अहमद (WAKIB SAMASHAD AHMED) पुत्र समशाद अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

समशाद अहमद पुत्र त्रिलोकी,
78, शेखपुर सुतौली शाहगंज,
गौसपुर, जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयशा फातिमा (Ayesha Fatima) पुत्री मो० दानिश है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 2545 में उसका नाम अमायरा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयशा फातिमा पुत्री मो० दानिश के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० दानिश पुत्र कमर सुल्ताना
389 B, बख्शी बाजार खुल्दाबाद,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समर यादव (Samar Yadav) पुत्र आत्मा प्रसाद यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8711 2172 4955 में उसका नाम अंश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समर यादव पुत्र आत्मा प्रसाद यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आत्मा प्रसाद यादव,
पुत्र मणि शंकर यादव
ग्राम बेदी पोस्ट पुआरिकलां वाराणसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो राजा (Md Raja) पुत्र राजीव इदरीसी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 3353 7092 6156 में मेरा नाम मुहम्मद समी अंकित गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो राजा (Md Raja) पुत्र राजीव इदरीसी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० राजा पुत्र राजीव इदरीसी,
ग्राम वाजिदपुर गाजीपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो हमजा (Mohd Hamza) पुत्र मो शकील है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 5191 8038 1397 में उसका नाम मो हुमजा (Mohd Humja) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो हमजा (Mohd Hamza) पुत्र मो० शकील के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० शकील मो शकील पुत्र मो० हनीफ,
ग्राम— तमोली टोला कुर्सी, पोस्ट—कुर्सी,
जनपद— बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामचन्द्र पुत्र नत्थू है जो मेरे निर्वाचन कार्ड बैंक पासबुक परिवार रजिस्टर, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी राजापुर, जनपद चित्रकूट की जाँच आख्या में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—4099 5357 2051 में मेरा नाम भूपत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामचन्द्र पुत्र नत्थू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रामचन्द्र पुत्र नत्थू
निवासी—सोती पुरवा, रानी लक्ष्मीबाई नगर,
पंराको राजापुर चित्रकूट, थाना—राजापुर,
तहसील—राजापुर, जनपद—चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम एस. सिंधु (S. Sindhu) पुत्री यशोधरन पिल्लई एस (Yesodharan Pillai S) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—7854 8132 9382 में मेरा नाम सिंधु श्रीदेवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम एस० सिंधु पुत्री यशोधरन पिल्लई एस व पत्नी सुदेवन पी.वी. के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

एस सिंधु पत्नी सुदेवन पी वी,
34ए/138ए ओल्ड बैरहना, बैरहना पास,
ब्रिज के ऊपर इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम एलिश सिंह (ALISH SINGH) पुत्री प्रदीप कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4420 1854 8159 में उसका नाम ऐलिश सिंह (Ailesh Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम एलिश सिंह पुत्री प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रदीप कुमार पुत्र घसीटे राम,
ग्राम पट्टी परवेजाबाद,
पोस्ट बड़ा गांव चरवा कौशाम्बी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राजवीर सोनी (Rajveer Soni) पुत्र राजकुमार सोनी है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 8798 में उसका नाम थर्ड वेबी ऑफ कुसुम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजवीर सोनी पुत्र राजकुमार सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजकुमार सोनी पुत्र सत्यचन्द्र,
पियरी उर्फ बिजलीपुर लालगोपालगंज,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य पटेल पुत्र सुबेदार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5455 4334 6209 में उसका नाम रवि पटेल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य पटेल पुत्र सुबेदार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीलम पटेल पत्नी सुबेदार
4 द-बगबना, पोस्ट- दादूपुर, दादूपुर
इलाहाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिटोली देवी मिश्रा पत्नी अशोक कुमार मिश्रा है, जो मेरे बैंक पास बुक, खतौनी, खसरे की नकल, हाउस टैक्स की रसीद, मकान की रजिस्ट्री तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-2575 1610 4632 में मेरा नाम वीटोली देवी पत्नी अशोक मिश्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिटोली देवी मिश्रा पत्नी अशोक कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे लिय पूर्ण की गयी हैं।

बिटोली देवी मिश्रा पत्नी अशोक कुमार मिश्रा,
156B/8B/T10 करेलाबाग, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम (SHRINIK) श्रीनिका रस्तोगी पुत्री धीरेन्द्र रस्तोगी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 6476 7912 4273 में उसका नाम श्री (Shree) रस्तोगी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम (SHRINIK) श्रीनिका रस्तोगी पुत्री धीरेन्द्र रस्तोगी के नाम से जाना वह पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धीरेन्द्र रस्तोगी पुत्र श्री रमेश चंद्र,
442/19 क मनोहर नगर कॉलोनी,
जनरेलगंज लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आशुतोष यादव (Ashutosh Yadav) पुत्र निरंजन यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXX 1988 में मेरा नाम शिबू कुमार यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आशुतोष यादव पुत्र निरंजन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशुतोष यादव पुत्र निरंजन यादव
ग्राम शाहपुर बभनौली (रैयाखाड़ी),
पोस्ट नरही जनपद बलिया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव सोनी (Aarav Soni) पुत्र प्रदीप कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5364 8906 0892 में उसका नाम दिव्यांश सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव सोनी (Aarav Soni) पुत्र प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रदीप कुमार पुत्र रामचन्द्र,
21 जोलहटोला, अतरौलिया,
आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम टिल्डू केवट पुत्र अमीर है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, व उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर जनपद आजमगढ़ की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं— 4644 4324 9168 में मेरा नाम टिल्डू केवट अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम टिल्डू केवट पुत्र अमीर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

टिल्डू केवट पुत्र अमीर,
ग्राम उसुरकुदूवा पोस्ट व थाना महाराजगंज,
तहसील बुढ़नपुर जनपद आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र प्रताप राजपूत पुत्र चन्दन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8594 0285 3410 में उसका नाम आदर्श (ADARSH) अंकित हो गया है, जोकि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र प्रताप राजपूत (RUDRA PRATAP RAJPUT) पुत्र चन्दन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

चन्दन पुत्र राम औतार
ग्राम सुब्बाखेड़ा, पो० कजौरा नवीन थाना-माखी,
जनपद उन्नाव, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रेयांश कुमार सिंह (Shreyansh Kumar Singh) पुत्र अभय कुमार सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 5552 7274 7086 में मेरा नाम श्रियांश सिंह (Shriyansh Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रेयांश कुमार सिंह (Shreyansh Kumar Singh) पुत्र अभय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रेयांश कुमार सिंह,
पुत्र अभय कुमार सिंह,
गाड़ौरी गरौरी अदालहट मिर्जापुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परी केसरवानी पुत्री अनिल केसरवानी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड संख्या-6424 7473 3297 में उसका नाम रूपाली केसरवानी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परी केसरवानी पुत्री अनिल केसरवानी नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक अपिचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राधा पत्नी अनिल केसरवानी,
निवासी 332 राजापुर सदर,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

It is hereby informed to the general public that my correct name is ANSARI ALSHIFA MOHD SHAFIQUE daughter of MOHD SHAFIQUE, which is recorded in my educational records. However, due to an error, in my Aadhaar Card No. 6265 4682 1592, my name has been recorded as ALSHIFA MOHAMMED SHAFIQUE ANSARI, which is incorrect. In future, I shall be known and identified as my correct name ANSARI ALSHIFA MOHD SHAFIQUE, daughter of MOHD SHAFIQUE. It is hereby certified that with regard to the above matter, all legal formalities have been duly completed by me.

Ansari Alshifa Mohd Shafique,
D/o Mohd Shafique,
Ramganj Post Pura Dhakwa Chauraha,
Aspur Deosara, Pratapgarh, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मेरा सही नाम आरती पत्नी सुरेश कुमार यादव है, जो मेरे बैंक पासबुक, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, कुटुम्ब परिवार

रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी के जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार सं० 3709 3522 7199 में मेरा नाम ललिता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम आरती (AARTI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है,

आरती पत्नी सुरेश कुमार यादव,
निवासी- भैदपुर, औराई,
संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र को सही नाम रजनीश यादव (RAJNEESH YADAV) पुत्र मनीष यादव (MANISH YADAV) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-7545 6630 0636 में उसका नाम वंश (WANSH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रजनीश यादव पुत्र मनीष यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई

मनीष यादव
पुत्र कमला शंकर यादव,
नैका महीन झूंसी, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम देव नारायण पाण्डेय पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय है। जो मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3765 में मेरा नाम डी० एन० पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम देव नारायण पाण्डेय पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

देव नारायण पाण्डेय,
पुत्र स्व. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय,
ग्राम मादपुर, पोस्ट मनौरी,
जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आकृष्ट वर्धन (AAKRISHT VARDHAN) पुत्र सुचिन्द्र पाठक है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। गलती से मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2827 5504 8860 में उसका नाम आकृष वर्धन पाठक (AKRISH VARDHAN PATHAK) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकृष्ट वर्धन (AAKRISHT VARDHAN) पुत्र सुचिन्द्र पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुचिन्द्र पाठक, पुत्र श्री निवास पाठक
बी 30/74 राम निवास नगवा लंका नगवा,
थाना लंका नगवा, भगवानपुर,
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सर्वेश कुमार मिश्रा (SARVESH KUMAR MISHRA) पुत्र शशिकान्त मिश्रा (SHASHI KANT MISHRA) है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 3382 8029 1593 में मेरा नाम राहुल कुमार (RAHUL KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सर्वेश कुमार मिश्रा (SARVESH KUMAR MISHRA) पुत्र शशिकान्त मिश्रा (SHASHI KANT MISHRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सर्वेश कुमार मिश्रा पुत्र शशिकान्त मिश्रा,
ग्राम व पोस्ट— इसौटा, तहसील—मेजा,
जनपद— प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन राजभर पुत्र राजू राजभर है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7695 3642 1665 में उसका नाम रोशन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन राजभर पुत्र राजू राजभर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजू राजभर पुत्र सुखरी
सेनेगपुर पोस्ट बख्तावरगंज मऊ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानवी पाण्डेय पुत्री इन्दीवर पाण्डेय है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7170 4116 3958 में मेरे पुत्री का नाम जैसमिन पाण्डेय अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम मानवी पाण्डेय पुत्री इन्दीवर पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

इन्दीवर पाण्डेय पुत्र स्व० लक्ष्मीकांत पाण्डेय,
निवासी 24 स्ट्रैची रोड, सिविल लाइन्स,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यवीर पुत्र अमित राज वर्मा है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक न रह पाने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर मैंने अपने पुत्र का नाम आर्यवीर से बदल कर आद्विक श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र का आद्विक श्रीवास्तव पुत्र अमित राज वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमित राज वर्मा पुत्र अरविन्द कुमार वर्मा,
बी 17 कमला नेहरू नगर, खुरम नगर,
लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांशु यादव (DIVYANSHU YADAV) पुत्र योगेश कुमार यादव (YOGESH KUMAR YADAV) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2044 6284 4287 में उसका नाम दिव्यांशु यादव (DIYANSHU YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांशु यादव (DIVYANSHU YADAV) पुत्र योगेश कुमार यादव (YOGESH KUMAR YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुषमा देवी पत्नी योगेश कुमार यादव,
गाँव व पोस्ट— चकलालचन्द,
जियानपुर, आजमगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दिवाकर यादव पुत्र राम नरेश है, जो कि मेरे बैंक

पासबुक, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र तथा एस०डी०एम०की जांच रिपोर्ट दर्ज है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8699 9866 9600 में सेंटी दर्ज हो गया है, जो गलत है। मेरा सही व शुद्ध नाम दिवाकर यादव है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं पूर्ण की गयी हैं।

दिवाकर यादव पुत्र राम नरेश,
ग्राम व पोस्ट पारा तहसील अतर्रा,
जिला बांदा उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष्मान राव (AYUSHMAN RAV) पुत्र आजाद कुमार (AAJAD KUMAR) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9142 8311 3304 में उसका नाम आयुष कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष्मान राव (AYUSHMAN RAV) पुत्र आजाद कुमार (AAJAD KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आजाद कुमार
S/o रामधारी राम,
ग्राम. पोस्ट — पल्हनी आजमगढ़(उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम साक्ष्य गौतम (SAKSHYA GAUTAM) पुत्र आशुतोष कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8192 5429 1794 में उसका नाम सक्ष अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम साक्ष्य गौतम (SAKSHYA GAUTAM) पुत्र आशुतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आशुतोष कुमार पुत्र राजाराम
ग्राम टोलवा आटदानपुर,
तहसील व जिला हरदोई।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रवीण कुमार सिंह पुत्र कैलाश नाथ सिंह,
ग्राम व पोस्ट खलीलपुर जनपद—जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गौरव (Gaurav) पुत्र सुरेन्द्र कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 6818 2137 8807 में उसका नाम Giorav अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गौरव (Gaurav) पुत्र सुरेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैकू
ग्राम छोटीखेडा मजरे गढ़ी, पोस्ट कनकहा,
तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रज्ञान सिंह (PRAGYAN SINGH) पुत्र प्रवीण कुमार सिंह (PRAVEEN KUMAR SINGH) है, जो उसके आधार कार्ड सं० 4870 3896 9635 एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम प्रज्ञान सिंह (PRAGYAN SINGH) से बदलकर चैतन्य सिंह (CHAITANY SINGHA) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को चैतन्य सिंह (CHAITANY SINGHA) पुत्र प्रवीण कुमार सिंह (PRAVEEN KUMAR SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुमित मौर्या पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9098 7144 3893 में उसका नाम SHAKYA BUDDY THAN MAURYA अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुमित मौर्या पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें, स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शैला देवी पत्नी प्रदीप कुमार,
परसिया टेकवार गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जिगर (JIGAR) पुत्र संजय कुमार (SANJAY KUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8861 8842 9929 में उसका नाम सूर्य भान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जिगर (JIGAR) पुत्र संजय कुमार (SANJAY KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बैजन्ती देवी पत्नी संजय कुमार,
गांव—हसनपुर सुन्धर पोस्ट देवीपुर,
तहसील टांडा अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सर्वेश (SARVESH) पुत्र धर्मराज (DHARMRAJ) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—5268 5875 7869 में मेरा नाम अभिषेक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सर्वेश (SARVESH) पुत्र धर्मराज (DHARMRAJ) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सर्वेश पुत्र धर्मराज,
फत्तेजोत पो० रामपुर बन्धुसरा,
जिला बलरामपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आविशी गौतम पुत्री प्रदीप कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—6214 6327 7802 में उसका नाम अभिशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आविशी गौतम पुत्री प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद,
ग्राम नीबी ता० खुर्द नैनी, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभी मौर्य (Abhi Maurya) पुत्र रमेश मौर्य है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4406 7619 0837 में उसका

नाम आंशिक कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभी मौर्य पुत्र रमेश मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश मौर्य पुत्र धर्मराज,
बहादुरगंज कोटरा, रायबरेली उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेश्वर (RAJESHWAR) पुत्र संजय (SANJAY) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX XXXX 3662 में मेरा नाम राजशेखर सिंह पुत्र संजय सिंह अंकित हो गया है, जोकि गलत है। मेरा सही नाम राजेश्वर पुत्र संजय है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेश्वर (RAJESHWAR) पुत्र संजय (SANJAY) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेश्वर पुत्र संजय,
ग्राम—छतऊतर पोस्ट—सुल्तानीपुर,
जहाँनागंज जिला आजमगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि मेरा सही नाम विभू त्रिपाठी (VIBHU TRIPATHI) पुत्र सुनील चंद्र त्रिपाठी (SUNIL CHANDRA TRIPATHI) है जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—9421 2218 9302 में मेरा नाम विभव तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विभू त्रिपाठी (VIBHU TRIPATHI) पुत्र सुनील चंद्र त्रिपाठी (SUNIL CHANDRA TRIPATHI) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विभू त्रिपाठी पुत्र सुनील चंद्र त्रिपाठी,
538/2/174ए, तपस्वी नगर,
अहिबरनपुर, सीतापुर, रोड लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव मौर्य (Abhinav Maurya) पुत्र रमेश मौर्य है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9774 5619 8928 में उसका नाम अभिनव मौर्य अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनव मौर्य पुत्र रमेश मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश मौर्य पुत्र धर्मराज
बहादुरगंज कोटरा, रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुजीत मौर्या पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9888 3598 1024 में उसका नाम SHAKYA BUDDY PRAKASH MAURYA अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुजीत मौर्या पुत्र प्रदीप कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैला देवी,
पत्नी प्रदीप कुमार मौर्या,
परसिया टेकवार गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बेटी का सही नाम स्वरांशी त्रिपाठी (SWARANSHI TRIPATHI) है, जो राम प्रकाश त्रिपाठी की बेटी है। उसके शैक्षिक रिकॉर्ड में यही नाम दर्ज है। गलती से मेरी बेटी के आधार कार्ड नंबर 7659 8239 5969 में उसका नाम आरोही दर्ज हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी बेटी को उसके सही नाम स्वरांशी त्रिपाठी (SWARANSHI TRIPATHI) पुत्री राम प्रकाश त्रिपाठी से ही जाना और पहचाना जाना चाहिए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इससे सम्बन्धित सभी कानूनी औपचारिकताएं मैंने स्वयं पूरी कर ली हैं।

राम प्रकाश त्रिपाठी,
43, रायपुर, धन्नीपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साधना पुत्री संजय शर्मा है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4214 1044 1878 में उसका नाम खुशी शर्मा अंकित हो गया है जो गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साधना पुत्री संजय शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय शर्मा पुत्र पुत्तनलाल शर्मा,
ग्राम टेडे का पुरवा, अम्बारा पश्चिम,
लालगंज, रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजकुमार सेठ पुत्र राधेश्याम सेठ है, जो मेरे पैन कार्ड, विद्युत बिल, बैंक पासबुक, भूमि के पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री) तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9328 5149

8306 में मेरा नाम राजू सेठ दर्ज है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजकुमार सेठ पुत्र राधेश्याम सेठ के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजकुमार सेठ पुत्र राधेश्याम सेठ
ग्राम बन्देपुर खुशियारी, पोस्ट बच्छाव,
तहसील एवं जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति चौरसिया पुत्री राहुल कुमार चौरसिया है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9908 9640 9375 में उसका नाम आशी चौरसिया हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिति चौरसिया पुत्री राहुल कुमार चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं

राहुल कुमार चौरसिया,
पुत्र रामबोध चौरसिया,
ग्राम व पो० सोखावाँ जिला-अयोध्या, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रगति सिंह पुत्री धर्मेन्द्र कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 8898 8114 0902 में उसका नाम दीप्ति सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रगति सिंह पुत्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लाल बहादुर सिंह,
ग्राम सैदलीपुर ईश्वर दासपुर,
रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंकित कुमार गुप्ता पुत्र रमायन गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या. 3935 9050 1576 में उसका अंग्रेजी में नाम सही है जब कि हिन्दी में नाम के जगह ???? अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंकित कुमार गुप्ता पुत्र रमायन गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सोनी गुप्ता पत्नी रमायन गुप्ता,
ग्राम मिश्रौली पोस्ट मोलनापुर,
जिला मऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिव्यांश खरे पुत्र स्व० अरुण खरे है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दिव्यांशु खरे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिव्यांश खरे पुत्र स्व० अरुण खरे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

दिव्यांश खरे पुत्र स्व० अरुण खरे,
किला मोहम्मदी नगर आशियाना, लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उमा देवी (UMA DEVI) पत्नी सतीश चंद

(SATISH CHAND) है जो कि मेरे बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, राशनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और श्रीमान उप जिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3338 2759 0036 में मेरा नाम चम्पा बाई अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम उमा देवी (UMA DEVI) पत्नी सतीश चंद (SATISH CHAND) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उमा देवी पत्नी सतीश चंद
मकान नं- 3/36 आई टी आई,
सिद्धन रोड, काशी राम आवास कालोनी,
ललितपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० प्रतिभा देवी पुत्री राकेश कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9350 1780 3743 में मेरा नाम सलोनी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० प्रतिभा देवी पुत्री राकेश कुमार पत्नी शशि भूषण मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु० प्रतिभा देवी पुत्री राकेश कुमार,
पत्नी शशि भूषण मिश्रा,
ग्राम लौगावाँ पोस्ट कुम्हियावाँ मंझनपुर,
कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पुष्पा देवी (PUSHPA DEVI) पुत्री नागेश्वर प्रसाद सैनी है, जो मेरे पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा उप जिलाधिकारी, राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2852 1666

5102 में मेरा घरेलू नाम खुशी शर्मा (KHUSHI SHARMA) अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे पुष्पा देवी (PUSHPA DEVI) पुत्री नागेश्वर प्रसाद सैनी पत्नी श्री अवधेश कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुष्पा देवी पत्नी श्री अवधेश कुमार,
37, कमल प्रिन्टिंग प्रेस, उत्तर मोहाल,
वार्ड नं०-24, राबर्टसगंज, सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विकास सुत शिव कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 4220 0543 6847 में उनका नाम जश कीर्ति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उनके सही नाम विकास सुत शिव कुमार के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गयी है।

शिव कुमार पुत्र राम खेलावन,
ग्राम- काजीपुर तेलियानी, पोस्ट बरखुरदारपुर,
तहसील सलोन, जनपद रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रज्ञांश (PRAGYANSH) पुत्र सुनील कुमार शर्मा (SUNIL KUMAR SHARMA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम प्रज्ञांश से बदलकर प्रज्ञांश विभु (PRAGYANSH VIBHU) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को (PRAGYANSH VIBHU) पुत्र सुनील कुमार शर्मा (SUNIL KUMAR SHARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील कुमार शर्मा पुत्र राम जी शर्मा,
24 डी/3 ए, 14 मास्टर जहरूल हसन रोड,
कटरा, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सान्वी चौहान (Saanvi Chauhan) पुत्री चन्द्र भूषण है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 5566 5726 5340 में उसका नाम साधना सिंह का दूसरा बच्चा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सान्वी चौहान पुत्री चन्द्र भूषण के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्र भूषण पुत्र राम पति
चौहानपूरा अमिला पोस्ट अमिला,
अमिला, मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत सोनी पुत्र ओम प्रकाश सोनी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6826 1148 7874 में उसका नाम रुद्र सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत सोनी पुत्र ओम प्रकाश सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ओम प्रकाश सोनी पुत्र संभुनाथ सोनी,
हाउस न 13 साहबगंज मुंगरा बादशाहपुर,
जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य विश्वकर्मा (ADITYA VISHWAKARMA) पुत्र रामजी विश्वकर्मा (RAMJI VISHWAKARMA) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-5634 1503 0324 में मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा (SHIVAM VISHWAKARMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम आदित्य विश्वकर्मा (ADITYA VISHWAKARMA) पुत्र रामजी विश्वकर्मा (RAMJI VISHWAKARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आदित्य विश्वकर्मा पुत्र रामजी विश्वकर्मा,
361 पुराना गोरखपुर,
गोरखनाथ मन्दिर के अन्दर, गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ख्याति मिश्रा (Khyati Mishra) पुत्री अमित कुमार मिश्रा है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 2417 8074 6308 में उसका नाम आराध्या मिश्रा (Aradhya Mishra) अंकित हो गया है, जोकि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ख्याति मिश्रा (Khyati Mishra) पुत्री अमित कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमित कुमार मिश्रा
पुत्र प्रकाश नारायण मिश्रा,
128/798 बी के ब्लॉक किदवई नगर,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुष्का सिंह पुत्री स्व० कृष्ण कुमार है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पालिसी सं० 235729660 मे मेरा नाम "तमन्ना सिंह" अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुष्का सिंह पुत्री स्व० कृष्ण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुष्का सिंह पुत्री स्व० कृष्ण कुमार,
100/498 कोलानलगंज कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुधा पुत्री देव प्रकाश है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5636 2885 2487 मे मेरा नाम सुधा देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुधा पुत्री देव प्रकाश से जाना व पहचाना जावे।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुधा पुत्री देव प्रकाश,
636 शिवपुरी नई विमान नगर,
सनिगावान, कानपुर नगर उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तेजस सिंह (TEJAS SINGH) पुत्र विक्रान्त सिंह (VIKRANT SINGH) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8222 2936 6622 में उसका नाम रिशी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजस सिंह (TEJAS SINGH) पुत्र विक्रान्त सिंह (VIKRANT SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विक्रान्त सिंह पुत्र नौरंग बहादुर सिंह,
गुलरिहा मौरावां पुरवा गुलरिहा,
उन्नाव, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अर्पिता राजभर पुत्री राजू राजभर है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 8905 5821 8698 में उसका नाम लाजो अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अर्पिता राजभर पुत्री राजू राजभर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजू राजभर पुत्र सुखरी,
सेनेगपुर पोस्ट बख्तावरगंज,
मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स समरकूल इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस खसरा/आर जी नंबर 696 व 701 विलेज मकरा पोस्ट लहगनपुर त्रिलोचन महादेव तहसील केराकत जिला जौनपुर, उ०प्र० है।

मैं श्री संजीव कुमार गुप्ता फर्म मेसर्स समरकूल इंडस्ट्रीज का अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देता हूँ की फर्म का पूर्व नाम त्रिलोचन इंडस्ट्रीज को दिनांक 02 जून, 2026 से परिवर्तन कर फर्म का वर्तमान नाम समरकूल इंडस्ट्रीज हो गया है तथा फर्म के व्यवसाय के पूर्व मुख्य स्थल सी-30/36-सी प्लैट संख्या 02 विश्वनाथ अपार्टमेंट मलदहिया वाराणसी-221002 उ०प्र० को भी दिनांक 02 जून, 2026 से स्थान परिवर्तन कर फर्म के व्यवसाय का वर्तमान मुख्य स्थल खसरा/आर जी नंबर 696 व 701 विलेज मकरा पोस्ट लहगनपुर त्रिलोचन महादेव तहसील केराकत जिला जौनपुर-222001 उ०प्र० हो गया है।

अब फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज का नाम मेसर्स समरकूल इंडस्ट्रीज है तथा मेसर्स समरकूल इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस खसरा/आर जी नंबर 696 व 701 विलेज मकरा पोस्ट लहगनपुर त्रिलोचन महादेव तहसील केराकत जिला जौनपुर, उ0प्र0।

श्री संजीव कुमार गुप्ता,
साझेदार,
समरकूल इंडस्ट्रीज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म – मेसर्स कृष्णा ट्रान्सपोर्ट, बी-3 कैलाशपुरम बरेली यू०पी० 243122 (पंजीकरण संख्या-B12442 Dt 15 जनवरी, 2011) का वास्तविक साझेदार है फर्म- मेसर्स कृष्णा ट्रान्सपोर्ट, बी-3 कैलाशपुरम बरेली यू०पी० 243122 (पंजीकरण संख्या-B12442 Dt 15 जनवरी, 2011) फर्म में 02 साझेदार राजीव कुमार (प्रथम साझेदार) एवं कृष्ण कुमार खण्डेलवाल (द्वितीय साझेदार) थे, दिनांक 27 जुलाई, 2022 को द्वितीय साझेदार कृष्ण कुमार खण्डेलवाल की मृत्यु हो गई एवं फर्म से प्रथम साझेदार राजीव कुमार स्वेच्छा से दिनांक 27 जुलाई, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 27 जुलाई, 2022 को फर्म में दो नये साझेदार सुधांशु गुप्ता एवं प्रेम सिंह शामिल किये गये हैं तथा अवकाश ग्रहण साझेदार एवं मृतक साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है एवं फर्म का नया पता- पीलीभीत बाईपास रोड एन0एच0 30 कलापुर बरेली यू०पी० पिन 243122 है। अब फर्म में कुल 02 साझेदार सुधांशु गुप्ता एवं प्रेम सिंह हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

सुधांशु गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स कृष्णा ट्रान्सपोर्ट, बरेली उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स लब्बाईक टूर्स एण्ड खादिम उल हुज्जाज, 29-30 फर्स्ट फ्लोर इशरत प्लाजा लिसाडी गेट चौराहा मेरठ-250002 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 19 अगस्त, 2020 के अनुसार मौहम्मद इकबाल, श्री महबूब इलाही, श्री चांद मिया एवं श्रीमती हज्जन बानो साझीदार थे। दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को मौहम्मद इकबाल पुत्र स्व० इनाम इलाही का देहान्त होने के कारण अलग हो गये हैं उनका शेयर एक हिस्सेदारी हेतु आपसी समझौता एवं वार्तानुसार श्री बिलाल पुत्र हाजी मौहम्मद इकबाल, निवासी 1142, सराय बहलीम, नियर मस्जिद तेलीयान, सोहराब गेट, मेरठ उ०प्र० 250002 को साझीदारी में सम्मिलित किया गया जोकि उनके पुत्र है। यह संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से प्रभावी होगी तथा दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को लिखित संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार वर्तमान में श्री महबूब इलाही, श्री चांद मिया, श्रीमती हज्जन बानो एवं श्री बिलाल साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

महबूब इलाही,
साझीदार
मेसर्स लब्बाईक टूर्स एण्ड खादिम उल हुज्जाज,
29-30 फर्स्ट फ्लोर इशरत प्लाजा,
लिसाडी गेट चौराहा मेरठ, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राम रहमान इंटरप्राइजेज, दुकान संख्या 6 दीक्षित मार्केट, रंगीलाल का चौराहा, पीलीभीत यू०पी० 262001 पंजीकरण सं०-PIL/0007286 का वास्तविक साझेदार है। फर्म में कुल तीन साझेदार-अकील अहमद, नकी हसन, संजीव कुमार भाटिया थे। साझेदारों की रजामंदी से दि० 15 जून, 2026 को नया साझेदार श्रीमती शोभा को शामिल किया गया है एवं दो साझेदार अकील अहमद एवं संजीव कुमार भाटिया फर्म से अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये।

अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म के कुल 2 साझेदार श्रीमती शोभा व नकी हसन है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

श्रीमती शोभा,
साझेदार,
मेसर्स राम रहमान इंटरप्राइजेज,
दुकान संख्या 6 दीक्षित मार्केट,
रंगीलाल का चौराहा, पीलीभीत यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मुस्कान राइस इंडस्ट्रीज पता विलेज डांडी हमीर, टाउन रिच्छा, तहसील बहेडी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं०—BAR/0017901 मे दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से मोहम्मद अरवाज पुत्र श्री सलीम अहमद को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को दो साझेदार 1. सलीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफील 2. मोहम्मद शकील सिद्दिकी पुत्र श्री तुफैल सिद्दिकी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात सलीम अहमद व मोहम्मद शकील सिद्दिकी का फर्म पर व फर्म का सलीम अहमद व मोहम्मद शकील सिद्दिकी पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में तीन साझेदार कमशः 1-सईद अहमद 2-मोहम्मद समीर 3-मोहम्मद अरवाज है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

सईद अहमद,
साझेदार,
फर्म मेसर्स मुस्कान राइस इंडस्ट्रीज,
मोहल्ला मस्तान वॉर्ड नं० 09, टाउन रिच्छा,
बहेडी, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रनिशा दी सिल्वर शाइन पता टीकाराम एण्ड सन्स शोरूम, टिकट गंज जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०—BUD/0021463 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 19 मई, 2025 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में दिनांक 12 मार्च, 2026 को एक नया साझेदार 1. वेदांत वैशय पुत्र श्री महेन्द्र नाथ वैशय पता मकान नं० 3 मोहल्ला कुंज पांडा बदायूँ, उ०प्र० 243601 स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है, उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल छः साझेदार कमशः 1. श्री राज किशोर 2. श्री महेन्द्र नाथ 3. श्री नितिन कुमार 4. शोभित वैशय 5. प्रमुख वैशय 6. वेदांत वैशय साझेदार है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी फर्म के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई।

राज किशोर,
साझेदार,
मेसर्स रनिशा दी सिल्वर शाइन।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मिलन राईस इंडस्ट्रीज, पता गाटा नं० 97VA, बिलेज गुरसौली बहेडी, बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं०—BAR/0014253 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 01 जनवरी, 2023 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में दिनांक 20 जून, 2023 को दो साझेदार मो. आजम जाफरी व मो० हसन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है, सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदारों पर कोई बकाया शेष नहीं है। दिनांक 21 जून, 2023 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्रीमती कनीज बानो साझेदार बनी व उपरोक्त फर्म में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को पूर्व साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्रीमती हिना को

साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया व दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को पूर्व साझेदार श्रीमती कनीज बानों की आकस्मिक मृत्यु हो गयी। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में तीन साझेदार क्रमशः 1—मो0 जावेद 2—मो0 तय्यव 3—श्रीमती हिना है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

मो0 जावेद

साझेदार

मेसर्स मिलन राईस इंडस्ट्रीज,
गाटा न0 97VA, बिलेज गुरसौली,
बहेडी, बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हास्को एग्रो इण्डस्ट्रीज पता विलेज मुडिया हाफिज धौरा टांडा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 243202 जिसकी पंजीकरण सं०—BAR/0019918 है दिनांक 10 जून, 2026 को उक्त फर्म में दो साझेदार श्री आरिफ शामू पुत्र श्री वलीउल्ला व श्री मो० अकरम पुत्र श्री मो० उमर अन्सारी अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से सम्मिलित हुए। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल छः साझेदार क्रमशः 1— शफीक अहमद 2— नरगिस बानो 3—जलीस अहमद 4— मोहम्मद नईम 5—आरिफ शामू 6— मोहम्मद अकरम है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी है।

शफीक अहमद

साझेदार,

मेसर्स हास्को एग्रो इण्डस्ट्रीज,
विलेज मुडिया हाफिज धौरा टांडा,
जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स— माइक्रोलिट, 629, पकरामऊ, कुर्सी रोड़ जिला—लखनऊ से 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत है फर्म में चार साझेदार क्रमशः श्री अजय जैन पुत्र डॉ० कृष्ण प्रसाद जैन, श्री अतुल जैन पुत्र डॉ० कृष्ण प्रसाद जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन पुत्री डॉ० कृष्ण प्रसाद जैन एवं श्रीमती अनुपमा जैन पत्नी श्री अजय अग्रवाल साझेदार थे जिसमें से दिनांक 31 मार्च, 2026 को दो पुराने साझेदार श्री अतुल जैन एवं श्रीमती अनुपमा जैन फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से निकल गये हैं तथा इसी दिनांक से 31 मार्च, 2026 से दो नये साझेदार श्री अविरल जैन एवं श्रीमती अनिशा जैन साझेदार शामिल हो रहे हैं क्रमशः वर्तमान में श्री अजय जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री अविरल जैन एवं श्रीमती अनिशा जैन साझेदार हैं।

अजय जैन,

साझेदार,

माइक्रोलिट, जिला—लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति केशरी पुत्री विजय केशरी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—8986 9989 0172 में उसका नाम शिक्षा केशरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति केशरी (AAKRITI KESHARI) पुत्री विजय केशरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

विजय केशरी पुत्र बिहारी लाल केशरी,

275/327, कच्छवा रोड़,

थाना वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनीष कुमार पटेल पुत्र शमशेर सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, पैन कार्ड, में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण प्रार्थी अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श से अपना नाम मनीष कुमार पटेल के स्थान पर मनीष कुमार सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे मनीष कुमार सिंह पुत्र शमशेर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

मनीष कुमार सिंह, पुत्र शमशेर सिंह,
बरबकपुर, घाटमपुर, मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सहर्ष प्रबल (SAHARSH PRABAL) पुत्र शिवबालक है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5815 6411 3181 में उसका नाम श्रेयांश सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सहर्ष प्रबल (SAHARSH PRABAL) पुत्र शिवबालक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

शिवबालक पुत्र सुखराज,
ग्राम निमड़ी पोस्ट मिल्कीपुर,
फैजाबाद, जनपद अयोध्या (उ०प्र०)।